सं0–04 / न्या0 -07/2015 – 594 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा 04,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

टीम लीडर,
PMC-NULM,
7वां तल, इंदिरा भवन, पटना।

पटना, दिनांक– 30-12-15

विषयः– **राज्य के अधीन नगर निकायों में गठित किये गये** Town Vending Committee **एवं स्थापित किये गये** Vending Zone **का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–4332 दि0–03.10.15, 4324 & 4326 दि0–01.10.15, 4946 दि0–11.12.15, 5021 दि0–16.12.15 एवं ज्ञापांक–5043 दि0– 17.12.15**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी, सभी आरक्षी अधीक्षक एवं सभी नगर निकाय को विषयांकित मामले पर अग्रतर कार्रवाई किये जाने हेतु निदेश दिया जा चुका है। उक्त से संबंधित प्रतिवेदन आदिनांक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि **सभी नगर निकाय से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुए दिनांक 04.01.16 तक विषयांकित मामलों का अद्यतन प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय,** ताकि ससमय वाद सं0–9634 / 2015, बिहार राज्य फुटपाथ दुकानदार एसोसिएशन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा सके। उल्लेखनीय है कि वाद की **अगली सुनवाई की तिथि 10.01.16** निर्धारित है।

इसमें विलंब अवांछित होगा।

विश्वासभाजन,

30/12/15

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा 04,
नगर विकास एवं आवास विभाग।